संख्या-21/2022/बी-2-219/001-990991292022

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 06 सितंबर, 2022

विषयः- प्रदेश सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से नगरीय निकायों के देयताओं के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्त विभाग के अनुदान संख्या-61 के लेखाशीर्ष -''2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय- 04-राज्य सरकार द्वारा संग्रहित 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से नगरीय निकायों की देयताओं का भुगतान-42-अन्य व्यय'' के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 500.00 करोड़ में से रूपये 482.62 करोड़ **(**चार सौ बयासी करोड़ बासठ लाख मात्र**)** को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक**,** नगरीय निकाय निदेशालय**,** उ0प्र0 के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग प्रदेश के नगर निकायों में प्रकाश एवं जलकर के विद्युत देयों का भुगतान ऊर्जा विभाग/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को करने के लिए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) धनराशि का उपयोग उसी मद के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में कर लिया जायेगा।

(4) उक्तानुसार निर्धारित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो, सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,82,62,00,000 (रुपये चार अरब बयासी करोड़ बासठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-061 लेखाशीर्ष 2217808000400 राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से नगरीय निकायों की देयताओं का भुगतान मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-21/2022/ बी-2-219/001-990991292022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन।

3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।

5- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

6- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।

7- नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।